राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

क्रमांक: एफ 2(1)ग्रावि/अनु–8/2014/ जयपुर, दिनांक 24.08.2015

बैठक कार्यवाही विवरण

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक बैठक दिनांक 24.08.2015 में दिये गये निर्देश निम्नानुसार है:–

1. विभाग की योजनाओं में 90 प्रतिशत प्रगति अर्जित करने के लिए निम्न कार्यवाही की जानी है:–
   1. माह जुलाई 2015 तक टोंक एवं उदयपुर सबसे कम प्रगति वाले जिलों के 2 सीईओ की बैठक सचिव महोदय के स्तर पर दि. 28.8.2015 को मध्यान्ह 2.30 बजे रखी जाए है।
   2. योजना प्रभारियों द्वारा कम प्रगति तथा समय पर स्वीकृतियॉ जारी नहीं करने के संबंध में 3 मेमो जारी किये जायेगें और 3 मेमो उपरान्त 17 सीसी के नोटिस देने की कार्यवाही की जायेगी।
   3. कम प्रगति तथा समय पर स्वीकृतियॉ जारी नहीं करने के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को पत्र लिखवाया जाऐगा।

   (समस्त योजना प्रभारी)
2. थर्ड पार्टी निरीक्षण के संबंध में दिनांक 24.8.15 को सांय 4.00 विभिन्न इन्जिनियरिंग कालेजों के साथ बैठक आयोजित की जाए।

   (एसई,आईएवाई)
3. विभाग की आईडब्ल्यूएमएस वैबसाईट की आगामी बैठक दि. 27.8.2015 को रखी जाये। साथ ही इस संबंध में बनाये जा रहे मोबाईल एप का प्रजेन्टेशन दि. 27.8.2015 को किया जाए।

   (पीडी,मोएवंमू)
4. इन्दिरा आवास योजना में कम प्रगति वाले पंचायत समिति के विकास अधिकारियों को चार्जसीट की कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा की जाऐगी। इस हेतु पंचायतीराज से पत्रावली मंगवाकर ग्रामीण विकास विभाग के स्तर पर कार्यवाही शुरू की जाए।

   योजना में वर्ष 2015–16 की सभी स्वीकृतियॉ 31 अगस्त 2015 तक जारी की जाए तथा दूसरी किश्त 31 दिसम्बर 2015 तक जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

आवास योजना में उदयपुर सम्भाग के जिलों के साथ अलग से विडियों कॉन्फ्रेन्स की तारीख तय की जाए तथा पंचायत समिति स्तर पर पैन्डैन्सी की समीक्षा की जाए।

(एसई, ग्रा.वि.)

5. सीएसआर के संबंध में बैठक आयोजित की गयी थी। प्रस्ताव 20 अगस्त 2015 तक तैयार कर पीडी(एमएण्डई) को भिजवायेंगे।

(योजना प्रभारी)

6. प्रशासन शाखा प्रत्येक अनुभाग में रेन्डम से पैन्डेन्सी की जांच करेंगे तथा संबंधित योजना प्रभारी भी अपने अनुभाग का निरीक्षण कर पैन्डेन्सी का निस्तारण करेंगे। प्रशासन शाखा प्रत्येक अनुभाग में रेन्डम चैकिंग करेगी कोई पीयूसी 5 दिवसों से अधिक लम्बित हो तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेगी।

(योजना प्रभारी)

7. डांग, मगरा, मेवात योजना में जारी स्वीकृतियों की समीक्षा करें। जिन जिलों द्वारा स्वीकृतियॉ जारी नहीं की जा रही है उन्हें मेमो जारी किया जाए। जिला स्तर पर एनआईटी जारी कर कार्यों को शुरू करने की कार्यवाही की जाए।

(अति0मुख्य अभि0 ग्रा.वि.)

8. दर निर्धारण की कार्यवाही 5 पंचायत समितियों में करायी जाये तथा इस संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक अलग से बैठक रखी जाए जिसमें विशेषतौर पर बहुत अधिक दर निर्धारण वाली पंचायत समितियों की दरों के संबंध में पुनर्विचार किया जाये।

(एसई, ग्रा.वि.)

9. **ए**– वित्तीय सलाहकार ऐसी ग्राम पंचायते (2722) जिनमें में टेण्डर प्रकिया पूर्ण नहीं हुई उनकी समीक्षा करें एवं उनके टेण्डर प्रकिया शीघ्र पूर्ण करायी जाए।

(वित्तीय सलाहकार)

बी– ग्राम पंचायतों में टेण्डर करने की तिथि इस प्रकार की जाए कि एक अप्रेल से पहले–पहले अंतिम सूची उपलब्ध रहने के संबंध में अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण विकास द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जायेगी तथा इसकी पत्रावली मा0 मंत्री महोदय को भेजी जायेगी।

(एसई,ग्रा.वि.)

10. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना में 159 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। शेष के चयन के लिए प्रत्येक सीईओ से व्यक्तिगत बात कर जहां आवश्यक हो शासन सचिव महोदय की ओर से शहरी क्षेत्र वाले मा0 विधायकों को या तो छूट दी जाये या शहरी वार्ड देने की कार्यवाही किये जाने के संबंध में पत्र लिखवाया जाए।

(पीडी,एसएपी)

11. लम्बित विधान सभा प्रश्नों के संबंध में निदेशक, डीएलबी, निदेशक समाज कल्याण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर व अन्य तथा अन्य योजना प्रभारियों के साथ शासन सचिव महोदय की बैठक रखी जाए।

(योजना प्रभारी)

12. Secc-2011 का मा0 मंत्री महोदय को प्रस्तुतीकरण दिया जाए।

(योजना प्रभारी)

13. एमएलए लैड योजना में पुनर्गठित पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों के भवन निर्माण की अभिशंषा करने हेतु मा0 मंत्री महोदय की ओर से संबंधित मा0 विधायक को पत्र लिखवाया जाए जिसमें पंचायतीराज विभाग की सहायता ली जायेगी साथ ही मा0 विधायक को इस कार्य के लिए अनिवार्य रूप से अभिशंषा हेतु मुख्य मंत्री कार्यालय को पत्रावली भेजी जावे।

(पीडी,एसएपी)

14. एसएजीवाई योजना से संबंधित कार्यशाला दिनांक 10.9.2015 तक आयोजित की जाए।

(पीडी,एसएपी)

परि0निदे0 एवं पदेन
उप सचिव (मोएवंमू)

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–</u>

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवं पं.राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) ग्रा.वि.विभाग।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि.विभाग।
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एसएपी–एसएस, मोएवंमू ग्रा.वि. विभाग।
6. अति0 मुख्य अभियन्ता एवं परि0निदे0एवं पदेन उप सचिव(सीएसएस) ग्रा.वि.विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई/श्रीयोजना।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक के निर्देश वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

परि0निदे0 एवं पदेन उप सचिव
(मोएवंमू)